फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)मुकाम–सिरोही(राज

प्रार्थी		अप्रार्थी
1. दोला पुत्र श्री नाथाजी जाति कुम्हार नि. बरलूट तहसील व जिला सिरोही	बनाम	1.मेघा पुत्र नाथाजी 2.चमना पुत्र नाथाजी के कायम मुकाम 2/1 टिपू देवी पत्नि स्व. चमनाजी 2/2 खेताराम पुत्र स्व. चमनाजी 2/3 जयंतिलाल पुत्र स्व. चमनाजी 2/4 कालुराम पुत्र स्व. चमनाजी जातियान कुम्हार नि. बरलूट 3. स्टेट, जरिये तहसीलदार, सिरोही

किस्म मुकदमा,

राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट — रा.प्रा.पत्र सं. 49/2023

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
28–01–25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी व स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित । अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक/कोर्ट/2024/1327 दिनांक 16–12–2024 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार मौजा बरलूट के राजस्व रेकर्ड संवत् 2071–2074 के खाता संख्या 134 के खसरा संख्या 739 व 740 कुल रकबा 2.62 है0 प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिसमें चमना, दौला, मेघा पि0 नाथा की जगह चमना, दौला पि. मेघा गलत अकन हुआ है। जबकि ना0करण संख्या 327 दिनांक 27–04–1976 में उतराधिकारी नामान्तरकरण में नाम चमना, दौला, मेघा पि0 नाथा सही दर्ज था। इसके बाद जमाबंदी संवत् 2030–2033 में भी नाम चमना, दौला, मेघा पि. नाथा सही दर्ज था। इसके उपरान्त संवत् 2033 से 2036 की नवीन जमाबंदी तहरीर के दौरान खाते में नाम चमना, दौला, मेघा पि. नाथा की जगह चमना, दौला पि. मेघा दर्ज हुआ। इसके उपरान्त आज तक गलत नाम चल रहा है। अतः मौजा बरलूट के राजस्व रेकर्ड संवत् 2071–2074 के खाता संख्या 134, में दौला पि. मेघा गलत दर्ज होने से सही अंकन दौला पि. नाथा जाति कुम्हार अंकन सहित मेघा पि. नाथा का नाम छुट जाने से अंकन कर शुद्व किया जाना उचित होना बताया है। प्रकरण में वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि ***मौजा बरलूट के राजस्व रेकर्ड संवत् 2071–2074 के खाता संख्या 134 में दौला पि. मेघा गलत इन्द्राज के स्थान पर सही नाम दौला पि. नाथा के अंकन सहित मेघा पि. नाथा का भी अंकन कर*** उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही (राज.)	